डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री त्रिलोक करनानी पुत्र स्व. श्री शंकर लाल करनानी एफ.बी.ओ. मेसर्स त्रिलोक एजेन्सीज गली नं. 5 सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज. निवासी गली नं. 1 सिन्धी कॉलोनी, निवाई जिला टोंक राज.। पिनकोड–304021 मो. नं. 9782312875

2–श्री सुरेन्द्र सिंह नाथावत पुत्र श्री हनुमान सिंह नॉमिनी मैसर्स आशीष मार्केटिंग प्लॉट नं. सी–65, रोड नं. 1–सी, विश्वकर्मा इण्ड.एरिया जयपुर राज.। पिनकोड–302013 निवासी ए 49 सी, दाधीच नगर, वार्ड नं. 1 जयपुर राज.। पिनकोड–302013

3–मैसर्स आशीष मार्केटिंग प्लॉट नं. सी–65, रोड नं. 1–सी, विश्वकर्मा इण्ड.एरिया जयपुर राज.। पिनकोड–302013

4–श्री अभय दानी नॉमिनी मैसर्स मैरिको लिमिटेड केयर ऑफ अमित सेल्स प्लॉट नं. ए–72 ए, विश्वकर्मा इण्ड. एरिया जयपुर राज.। पिनकोड–302013

5–मैसर्स मैरिको लिमिटेड केयर ऑफ अमित सेल्स प्लॉट नं. ए–72 ए, विश्वकर्मा इण्ड. एरिया जयपुर राज.।

.......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री तेजमल जैन उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 28/8/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.03.2022 को समय दोपहर 12:11 पी.एम. पर मैसर्स त्रिलोक एजेन्सीज गली नं. 5 सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री त्रिलोक करनानी पुत्र स्व. श्री शंकर लाल करनानी अपने प्रतिष्ठान मैसर्स त्रिलोक एजेन्सीज गली नं. 5 सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला टोंक पर खादय पदार्थ का विक्रय करते हुए उपस्थित मिला, श्री त्रिलोक करनानी पुत्र स्व. श्री शंकर लाल करनानी को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री त्रिलोक करनानी पुत्र स्व. श्री शंकर लाल करनानी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **प्रोपरायटरी फूड मसाला ओट्स सफोला**

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री त्रिलोक करनानी पुत्र स्व. श्री शंकर लाल करनानी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताकर कि यह **प्रोपरायटरी फूड मसाला ओट्स सफोला ब्राण्ड (Proprietary Food Masala Oats Saffola Brand)** जिसके बैच नम्बर एसी/22/बीबी13 एवं पैकिंग की दिनांक 13.12.2021 थी, 500–500 ग्राम के 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **प्रोपरायटरी फूड मसाला ओट्स सफोला ब्राण्ड (Proprietary Food Masala Oats Saffola Brand)** 500–500 ग्राम के 4 मूल को एक–एक पैकेट के नियमानुसार चार भाग तैयार कर, लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3121 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3121 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री त्रिलोक करनानी पुत्र स्व. श्री शंकर लाल करनानी एफ.बी.ओ. मेसर्स त्रिलोक एजेन्सीज गली नं. 5 सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज. ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स आशीष मार्केटिंग प्लॉट नं. सी–65, रोड नं. 1–सी, विश्वकर्मा इण्ड.एरिया जयपुर का एवं मैसर्स आशीष मार्केटिंग ने मैसर्स मैरिको लिमिटेड केयर ऑफ अमित सेल्स प्लॉट नं. ए–72 ए, विश्वकर्मा इण्ड. एरिया जयपुर राज. का का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/981 दिनांक 29.04.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एलएस/1271/एक्ट/2022/1323 दिनांक 07.04.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **प्रोपरायटरी फूड मसाला ओट्स सफोला ब्राण्ड (Proprietary Food Masala Oats Saffola Brand)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री तेजमल जैन उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **प्रोपरायटरी फूड मसाला ओट्स सफोला ब्राण्ड (Proprietary Food Masala Oats Saffola Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **प्रोपरायटरी फूड मसाला ओट्स सफोला ब्राण्ड (Proprietary Food Masala Oats Saffola Brand)** का नमूना जाच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार नष्ट किया जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/8/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोकं